



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032026-270994
CG-DL-E-17032026-270994

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1293]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 1293]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 1352(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, ओडिशा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग 26 पर बरगढ़ जिले में किलोमीटर 21.206 पर दो लेन के लघु पुल का निर्माण और किलोमीटर 26.983 पर दो लेन के प्रमुख पुल का निर्माण। तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची
ओडिशा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग 26 बरगढ़ जिले में किलोमीटर 21.206 पर दो लेन के लघु पुल का निर्माण और किलोमीटर 26.983 पर दो लेन के प्रमुख पुल का निर्माण के भूमि का अधिग्रहण.

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	तहसीलदार, बरपाली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH26 के कि.मी 21.206 से कि.मी 26.983 तक	उड़ीसा	बरगढ़	बरपाली	1 महादा 2 धनगरपाली 3 बरपाली

[फा. सं. Ro/BBSR/11017/LA/97/2016]
शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 1352(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of 2 Lane Minor Bridge at Km 21.206 & construction of 2 Lane major Bridge at Km. 26.983 at of (NH26) Bargarh District in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway 26 Construction of 2 Lane Minor Bridge at Km 21.206 & construction of 2 Lane major Bridge at Km. 26.983 at Bargarh District in the State of ODISHA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6
1	Tahasildar, Barpali	NH26 KM 21.206 TO KM 26.983	ODISHA	BARGARH	Barapali 1 Mahada 2 Dhangerpali 3 Barapali

[F. No. Ro/BBSR/11017/LA/97/2016]
SHAIKH AMINKHAN, Director